उत्तर प्रदेश शासन

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2

संख्या-3/2022/44/44-2-2022

लखनऊः दिनांकः 14 मार्च, 2022

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

विषयः- सार्वजनिक क्षेत्र में जन शक्ति नियोजन-सार्वजनिक उद्योग चयन समितियों का गठन।

उपर्युक्त विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या-5195/ब्यूरो-2-2(45)-79, दिनांक 14.12.1979 द्वारा प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों तथा उनकी सहायक कम्पनियों आदि में शीर्ष पदों पर चयन हेतु सार्वजनिक उद्यम विभाग के अधीन चयन समितियों का गठन किया गया है तथा उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 14.12.1979 के क्रम में समय-समय पर आवश्यक निर्देश भी जारी किए गये है। उक्त कार्यालय ज्ञाप 04 दशक पुराना होने एवं वर्तमान में विभागीय अधिकारियों के पदनाम परिवर्तित होने के दृष्टिगत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 14.12.1979 द्वारा गठित चयन समिति (द्वितीय) को निम्नानुसार संशोधित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

चयन समिति (द्वितीय):-

(1) मुख्य सचिव द्वारा नामित एक अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव

(2) मुख्य सचिव द्वारा नामित एक विशेषज्ञ

(3) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नियुक्ति विभाग अथवा उनके द्वारा नामित कोई अधिकारी।

(4) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग अथवा उनके द्वारा नामित कोई अधिकारी।

(5) प्रशासकीय विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।

(उपरोक्त में से वरिष्ठतम अधिकारी इस समिति के अध्यक्ष रहेंगे।)

के0 एल0 वर्मा

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-3/2022/44 (1)/44-2-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।

2- समस्त सार्वजनिक निगमों/उद्योगों/उपक्रमों आदि के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशकगण।

3- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

के0 एल0 वर्मा

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।